☎ कार्यालय / फैक्सः 05966–222792
देहरादूनः–0135–2759796
ई–मेलःmissionhortiuk@gmail.com

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों के दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) की शर्तें

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड़ में संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित, राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कास्तकारों को वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौध (सेब, ऑडू, प्लम, खुबानी, नाशपाती, कीवी, अखरोट, बादाम, पिकननट, हैजलनट, परसिमन (Persimmon) आदि) से लाभान्वित करने हेतु NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों की दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण के लिये अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) आमन्त्रित की जाती है। उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के पंजीकरण हेतु शर्तें निम्नानुसार हैः–

1. उत्तराखण्ड़ के मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालयों में उपलब्ध वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादित फल पौधों को प्राथमिकता के आधार पर विभागीय दरों पर उपयोग किया जायेगा। प्रदेश के पौधालयों में जिन फल प्रजातियों के पौधे उपलब्ध नहीं होगें, उन्हीं फल प्रजातियों के पौधों को EoI के माध्यम से पंजीकृत पौधालयों से प्राप्त किया जायेगा।
2. आवेदन पत्र मात्र NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों से ही स्वीकार किये जायेंगे।
3. पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना होगा। **आवेदन के प्रारूप प्रपत्र–1 तकनीकी बिड** के साथ आवेदन शुल्क के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट रू0 2,360.00 (18 % GST सहित) जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड़ के नाम रानीखेत में देय हो, संलग्न करना होगा।
4. **वित्तीय बिड प्रपत्र–2 के** अलग लिफाफे में मुहर बन्द हो, जिसे आवेदन के साथ जमा करना होगा।
5. पंजीकरण हेतु बैंक गारन्टी / सावधी जमा रसीद रू0 2.00 लाख, वैधता तिथि 31.03.2023 जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ के नाम बन्धक हो, आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
6. पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप व निर्धारित शर्तें बागवानी मिशन की वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
7. आवेदन प्रपत्र बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा, जिसके ऊपर **"उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के पंजीकरण हेतु आवेदन"** अंकित हो दिनांक 20.12.2021 को सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड़, राजकीय उद्यान, सर्किट हाऊस, देहरादून मे जमा करना होगा।
8. विभाग द्वारा गठित समिति के सम्मुख दिनांक 21.12.2021 को प्रातः 11:00 बजे पंजीकरण हेतु प्राप्त लिफाफों को खोला जायेगा।
9. वित्तीय बिड में उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की दी गई दरों के मोल–भाव (Negotiation) हेतु दिनांक 22.12.2021 को अपराह्न 02:00 बजे मात्र मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों के प्रतिनिधियों के साथ विभागीय गठित कमेटी द्वारा वार्ता कर दरों का निर्धारण किया जायेगा तथा दरों की सहमति हेतु मात्र मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय स्वामी या उनके प्रतिनिधियों से लिखित में सहमति प्राप्त की जायेगी।
10. उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का पंजीकरण **दिनांक 31.03.2023** तक वैध होगा। परन्तु NHB / ICAR से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये, अनिवार्य अभिलेखो की वैधता तिथि समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित नवीनीकृत अभिलेख समय पर विभाग को प्रस्तुत किये जाने होगे। नवीनीकृत अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा या निरस्त समझा जायेगा।
11. पंजीकरण की जाने वाली NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों को उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की आपूर्ति हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नर्सरी एक्ट द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों का

12. आवेदन प्रपत्र के साथ केवल वांछित प्रपत्र ही प्रस्तुत किये जायें, आवेदन के साथ उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का साहित्य संलग्न न किया जाय। पौंधालयों के द्वारा साहित्य को कार्यालय के संबंधित पटल सहायक/अधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जाय।

13. दरों के पंजीकरण के पश्चात् निदेशालय द्वारा गठित समिति द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का पौधालय में सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन उपरान्त सन्तोषजनक आख्या उपलब्ध कराने पर ही फल पौधों का आवंटन किया जायेगा।

14. आपूर्ति किये गये उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के परीक्षण के बाद मानक के अनुरूप पाये जाने पर ही भुगतान क्रेता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

15. प्रत्येक उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौधों पर स्वंय लॉक हो जाने वाले लेबल जो हैण्डलिगं (रखरखाव) तथा यातायात में आसानी से नहीं हटने वाले हों का उपयोग किया जायेगा, जिसमें फल पौंध का नाम, प्रजाति का नाम, रूटस्टाक का नाम व पौधालय का नाम अंकित करना होगा।

लेबल का नमूना–

विवरण	अंकित किया जाय	विवरण	अंकित किया जाय
मान्यता प्राप्त (Accredited) पौधालय का नाम व पता–	....	फल पौंध का नाम व प्रजाति–	....
टैग संख्या–	....	पंजीकरण संख्या–	....
मूलवृन्त (Root Stock) का नाम–	....	कलम किये गये मूल वृन्त की आयु तथा कलम करने की तिथि–	....
प्रवर्धन की विधि–	....	कलम (Scion)/बड वुड का श्रोत–	....
उपचार का नाम व उपचार की तिथि–	....	रोग एवं व्याधि से मुक्त हां या नहीं–	....

16. विभाग द्वारा पंजीकरण हेतु EoI प्रक्रिया की तिथि व समय में बिना कारण बताए परिवर्तन/संशोधन (आंशिक या पूर्ण) या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड का होगा। किसी विवाद की स्थिति मे निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड का निर्णय अन्तिम होगा तथा वाद का क्षेत्र देहरादून न्यायालय होगा।

17. पंजीकरण की व्यवस्था को बिना कारण बताये किसी भी समय नवीनीकरण अथवा निरस्त करने की कार्यवाही का अधिकार निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड को होगा।

18. कास्तकारों द्वारा स्वयं विभाग में पंजीकृत NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों से उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों से क्रय किया जाता है तो उसके उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का सक्षम स्तर से भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त ही बिल/बाउचर प्राप्त होने पर नियमानुसार राजसहायता का भुगतान सम्बन्धित कास्तकार के बैंक खाते में RTGS/DBT के द्वारा किया जायेगा।

19. उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों पर देय राजसहायता की मुख्य/जिला उद्यान अधिकारी/उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कृषक अपनी इच्छानुसार विभाग में पंजीकृत किसी भी मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों से क्रय करने हेतु स्वतन्त्र होगा। कृषकों की लिखित सहमति पर मुख्य/जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा भी उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का क्रय कर कास्तकारों को वितरित किया जा सकता है।

20. आवेदनकर्ता NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों द्वारा समस्त अभिलेख स्वप्रमाणित प्रस्तुत करने होगें तथा पंजीकरण हेतु निधारित शर्तों पर सहमति हेतु मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों के स्वामी या उनके

21. भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटीज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

22. पंजीकरण उपरान्त मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों को उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के रोपण एवं उचित परिणाम प्राप्त करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निःशुल्क प्रदान करना होगा तथा तकनीकी साहित्य निःशुल्क प्रदान करना होगा।

23. पंजीकरण की अवधि के दौरान यदि मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों द्वारा आपूर्ति/विक्रय किए गए उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी तथा बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद की धनराशि भी जब्त की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों की होगी।

24. यदि प्राधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय अनुचित कार्यों में लिप्त है तो उस मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों का पंजीकरण निरस्त कर विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

25. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

26. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों को किसानों की आवश्यकतानुसार उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की आपूर्ति में कोई आपत्ति नहीं होगी।

27. कास्तकारों तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा पंजीकृत दरों से कम दरों पर आपूर्ति हेतु मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों के प्रतिनिधियों से मोल–भाव (Negotiation) किया जा सकता है।

28. विदेशों से उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के आयात किये जाने की दशा में फल पौधों का Quarantine Certificate बिलों के साथ उपलब्ध कराना होगा।

29. औद्यानिक फसलों का उत्पादन मौसम आधारित होने के दृष्टिगत जनपदीय अधिकारियों/कास्तकारों को निर्धारित समयान्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।

30. उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के मानक व प्रोटोकॉल निम्नानुसार होगें।

    a. कल्मी पौधों का तना मजबूत हो, ग्राफ्ट का जुड़ाव सही हो, पौधे की लम्बाई 3 फीट से कम न हो, पौधे का शिखर परिपक्व हो तथा ग्राफ्ट एक वर्ष पुराना हो।

    b. पौधों की वास्तविक किस्म (True To Type) उच्च गुणवत्तायुक्त एवं रोग व विषाणु रहित हो, की सत्यता के लिये नर्सरी स्वामी से रू0 100.00 नोटेराईज्ड़ स्टाम्प पेपर पर शपथ लेनी होगी, ताकि फल पौंध रोपण सामग्री, गुणवत्तायुक्त एवं रोग व विषाणु रहित नहीं पाये जाने पर पौधालय स्वामी के विरूद्ध विभागीय/वैधानिक कार्यवाही की जा सके।

    c. पौधों में प्रयाप्त मात्रा में जड़ें विकसित हों तथा मुख्य जड़ कटी न हो।

    d. पौधों के खुदान करने के कम से कम 05 दिन बाद ही पौधों का उठान किया जायेगा।

    e. पौध उठान से पूर्व प्रजाति की सत्यता पूर्णतः सत्यापित कर लिया जाय। पौधों के बिल प्रजाति के अनुसार ही तैयार किया जाय। तद्नुसार ही कृषकों को प्रजाति के विवरण सहित फल पौंध उपलब्ध कराते हुये अभिलेख अनुरक्षित रखे जाय, ताकि विश्वसनीयता बनी रहे।

    f. पौधों की पैकिगं उच्च गुणवत्तायुक्त हो, जिसमें मौस घास का प्रयोग उचित एवं पर्याप्त मात्रा में किये गया हो।

    g. फल पौंध रोपण कार्य की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से की जायेगी, जिसे जनपद मुख्यालय पर अनुरक्षित किया जायेगा।

आवश्यक अभिलेखों का विवरणः–

1. पंजीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप पर करना होगा। **आवेदन के प्रारूप प्रपत्र–1 तकनीकी बिड** के साथ आवेदन शुल्क के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट रू0 2,360.00 (18 % GST सहित) जो निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड़ के नाम रानीखेत में देय हो, संलग्न करना होगा।

3. पंजीकरण हेतु बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद रू0 02.00 लाख, वैधता तिथि 31.03.2023 जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ के नाम बन्धक हो, आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

4. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय का सक्षम स्तर से प्राप्त लाईसेन्स (Licence) की छायाप्रति।

5. किसी भी मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की न्यूनतम 05 वर्षों की उत्पादन/आपूर्ति का **अनुभव प्रमाण पत्र** संलग्न करना होगा।

6. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों के विरूद्व किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद/विधिक, अपराधिक कार्यवाही अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया हो, जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए **शपथ पत्र रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प** पेपर पर मूल रूप मे जमा करना होगा (विवादित न होने का शपथ पत्र)।

7. उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की आपूर्ति के पश्चात् उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की प्रजाति, रूटस्टाक का प्रकार एवं उत्पादन की गारन्टी हेतु गारन्टी प्रदान करनी होगी। उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की प्रजाति, रूटस्टाक एवं उत्पादन मानकानुसार प्राप्त नहीं होने पर नर्सरी एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा पौधालय को ब्लैक लिस्ट कर बैंक गारन्टी जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में घोषणा पत्र संलग्न करनी होगी।

8. उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी।

9. विदेशों से उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के आयात करने की दशा में आवेदक पौधालय को भारत सरकार द्वारा पौध रोपण सामग्री आयात सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।

10. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

11. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों को रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु दी जा रही दरों से कम दरों पर उनके द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

12. मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों द्वारा पिछले 05 वर्षों के दौरान लाभान्वित किये गये किसानों में से में कम से कम 10 किसानों के नाम, पता व मोबाईल नम्बर, उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का नाम, रूटस्टॉक का नाम, प्रजाति, फल पौधों की संख्या, रोपण का वर्ष व फल पौधों का परिणाम सहित सूची संलग्न करनी होगी।

13. आवेदनकर्ता मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों को अपनी प्रोफाईल उपलब्ध करानी होगी।

14. पंजीकरण हेतु वित्तीय विड में अंकित उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के प्रत्येक प्रजाति के दो–दो नमूने के तौर पर पौधे कार्यालय– निदेशक, बागवानी मिशन, देहरादून में जमा करना होगा।

निदेशक, उद्यान

☏ कार्यालय / फैक्सः 05966–222792
देहरादूनः–0135–2759796
ई–मेलःmissionhortiuk@gmail.com

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों (सेब, ऑड़ू, प्लम, खुबानी, नाशपाती, कीवी, अखरोट, बादाम, पिकननट, हैजलनट, परसिमन (Persimmon) आदि) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु NHB से मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालयों के दरों एवं विशिष्टियों के पंजीकरण हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) हेतु आवश्यक अभिलेख

प्रपत्र–1 तकनीकी बिड

क्र.सं	विवरण	आवश्यक अभिलेख का पृष्ठ संख्या
1	आवेदक मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय का नाम व पता– (पौधालय के पैड पर स्पष्ट लिखा होना अनिवार्य है)	
2	आवेदक मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय को अपने पैड पर पौधालय की विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करनी होगी।	
3	अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EoI) हेतु प्रक्रिया शुल्क की धनराशि का विवरण – ड्राफ्ट संख्या............... दिनाकं.................. धनराशि रू0................ बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम–	
4	बैंक गारन्टी / सावधी जमा रसीद जो निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड़ के नाम बन्धक हो, का विवरण– बैंक गारन्टी / सावधी जमा रसीद संख्या............................ बैंक का नाम...वैधता तिथि........ ....धनराशि रू0................	
5	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय का पैन कार्ड नम्बर–.. (कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)	
6	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय का जी.एस.टी. नम्बर–... (यदि है तो छायाप्रति संलग्न करें)	
7	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय का उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौध उत्पादन के लाईसेन्स की छायाप्रति।	
8	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों उत्पादन एवं आपूर्ति का न्यूनतम 5 वर्षो का का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
9	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति से सम्बन्धित कोई विवाद / विधिक, अपराधिक कार्यवाही अथवा ब्लैकलिस्ट किया गया हो, जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप मे जमा करना होगा (विवादित न होने का शपथ पत्र)।	
10	उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की आपूर्ति के पश्चात् उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की प्रजाति, रूटस्टाक का प्रकार एवं उत्पादन की गारन्टी हेतु गारन्टी प्रदान करनी होगी। उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की प्रजाति, रूटस्टाक एवं उत्पादन मानकानुसार प्राप्त नहीं होने पर नर्सरी एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा पौधालय को ब्लैक लिस्ट कर बैंक गारन्टी जब्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में घोषणा पत्र संलग्न करनी होगी।	
11	उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में एक समान दरों पर उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की आपूर्ति (मूल दर + GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित देनी होगी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक पौधालय को अपने पैड पर लिखित सहमति देनी होगी।	
12	विदेशों से उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के आयात करने की दशा में आवेदक पौधालय को भारत सरकार द्वारा पौध रोपण सामग्री आयात सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें।	
13	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय द्वारा उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।	
14	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय द्वारा पिछले 05 वर्षो के दौरान लाभान्वित किये गये किसानों में से में कम से कम 10	

15	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय को रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पूर्वक अवगत कराना होगा कि पंजीकरण हेतु दी जा रही दरों से कम दरों पर उनके द्वारा किसी अन्य राज्य/विभाग/संस्था को उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की आपूर्ति नहीं की जा रही है।	
16	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय द्वारा लीगल क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य के अन्तगर्त देहरादून होगा (जिसके सम्बन्ध में फर्म/कम्पनी के पैड पर लिखित सहमति देनी होगी)	
17	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय द्वारा भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोत्तरी/परिवर्तन किया जाता है तो पौधालय स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, उद्यान को तत्काल उपलब्ध करायेगें (इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)	
18	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय द्वारा पंजीकरण उपरान्त उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के रोपण की तकनीकी प्रशिक्षण चयनित कास्तकारों व विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को नि:शुल्क प्रदान करना होगा (इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)	
19	मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय द्वारा विक्रय किए गए उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाएगी (सहमति सम्बन्धी स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र)	
20	पंजीकरण हेतु वित्तीय विड में अंकित प्रत्येक प्रजाति के उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों के दो–दो नमूने के तौर पर कार्यालय– निदेशक, बागवानी मिशन, देहरादून में जमा करना होगा।	

नोट – उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होगे तथा प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा कि उपरोक्त सभी कॉलम मे दी गयी सूचनाए सत्य एंव प्रमाणित है अभिव्यक्ति की अभिरूची (EoI) के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जाये। आवेदनकर्ता मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय के स्वामी द्वारा समस्त अभिलेख स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करने होगें तथा पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तों पर सहमति हेतु मान्यता प्राप्त (Accredited) पौंधालय के स्वामी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।

शपथ पत्र– मेरे द्वारा उपरोक्त अभिव्यक्ति की अभिरूची (EoI) की समस्त शर्तो एंव प्रतिबन्धो का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

फर्म का नाम व पता
फोन न0 फैक्स/ई.मेल

☎ कार्यालय / फैक्सः 05966–222792
देहरादूनः–0135–2759796
ई–मेलःmissionhortiuk@gmail.com

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत (अल्मोड़ा)

वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादित उच्च गुणवत्तायुक्त शीतकालीन फल पौधों (सेब, ऑडू, प्लम, खुबानी, नाशपाती, कीवी, अखरोट, बादाम, पिकननट, हैजलनट, परसिमन (**Persimmon**) आदि) से कास्तकारों को लाभान्वित करने हेतु **NHB** से मान्यता प्राप्त (**Accredited**) पौंधालयों के दरें प्रस्तुत करने हेतु

प्रारूप–2 का वित्तीय बिड

Sl. No.	Name and address of Accredited Nursery	Name of Plants	Variety	Name of Root Stock	Rate (Per plant) (including all tax)
01	02	04	05	06	07

पौंधालय का नाम...

पौंधालय के स्वामी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर................................

पौंधालय के स्वामी प्रतिनिधि का नाम